



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

No. 1343 /ED(HR)/UPCL/Section-I/Apprentice

Date: 25/03/2026

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप 1414/अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०-1/अप्रैन्टिस, दिनांक 28.03.2025 के द्वारा दिनांक 28.03.2025 से दिनांक 27.03.2026 तक एक वर्ष के लिए उपाकालि में शिक्षता प्रशिक्षण हेतु 50 प्रशिक्षुओं को उक्त कार्यालय ज्ञाप अनुसार विभिन्न खण्ड कार्यालयों में तैनात किया गया था।

उक्त कार्यालय ज्ञाप के बिंदू संख्या 02 एवं 03 के अनुसार उक्त 50 प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि 27.03.2026 को समाप्त हो रही है।


संलग्नक-यथोपरि।

अधिशाली निदेशक (मा०सं०)

No. 1343 - ED(HR)/UPCL/ Section-I Apprentice/ of dated

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ ऑफिसर-1, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक (मा०सं०), उपाकालि, वि०का०वि० गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव-निदेशक (परियोजना/परिचालन/वित्त) उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय अधिशाली निदेशक (मा०सं०), उपाकालि, वि०का०वि० गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि।
5. सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता, उपाकालि।
6. अधिशाली अभियन्ता (का०में०), उपाकालि, वि०का०वि० गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. अधिशाली अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि०का०वि० गबर सिंह, ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(जितेंद्र सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025607

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक :- 1414

/अधि०निदेश०(गा०सं०)/उपाकालि/अनु०-1/अप्रैन्टिस

दिनांक 28/03/2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा, निम्नलिखित अप्रैन्टिस शिक्षुओं (डिग्रीधारी/डिप्लोमा) को दिनांक 28.03.2025 से दिनांक 27.03.2026 तक एक वर्ष के लिए उपाकालि में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु निम्न सारणीनुसार तैनात किया जाता है :-

S.no.	Applicant Name	Student ID	Qualification Type	Place of Posting
1	ABHINAV JUDIWAL	AUKHA5155192	DIPLOMA	EDD (Urban), SIDCUL, Haridwar
2	ABHINAV SINGH	AUKHA5880113	DIPLOMA	EDD (Urban), Roorkee
3	ABHISHEK	AUKHA4867202	DIPLOMA	EDD, Ramnagar, Roorkee
4	ADITYA PANCHPURI	AUKPG4528004	DIPLOMA	EDD, Tehri
5	AJAY KUMAR ARYA	AUKBA2879365	GRADUATE	EDD, Bageshwar
6	AJAY RATURI	AUKTG5495783	DIPLOMA	EDD, Tehri
7	AKANSHA MAURYA	AUKDD5946169	GRADUATE	EDD, Vikasnagar
8	AKANSHA PRASAD	NUKD011201100164	GRADUATE	EDD (Urban), Haldwani
9	AMIT BHANDARI	AUKCL5582633	DIPLOMA	EDD, Gopeshwar
10	AMOL MANI	AUKPG5168835	DIPLOMA	EDD, Pauri
11	ANJANA DEVI	AUKHA4564712	DIPLOMA	EDD (Rural), Haridwar
12	ARJUN KUMAR	AUKPG5036420	DIPLOMA	EDD, Pauri
13	ANKIT	AUKUT4860075	DIPLOMA	EDD (Urban), Roorkee
14	ANOOP SINGH	AUKCL5941861	DIPLOMA	EDD, Gopeshwar
15	ASHISH KUMAR	NUKD011210600290	DIPLOMA	EDD (Rural), Haridwar
16	AYUSHI	NUKD011220900188	DIPLOMA	EDD, Tehri
17	BHARTI	AUKHA5949937	DIPLOMA	EDD, Ramnagar, Roorkee
18	BUSHRA	AUKHA4774099	DIPLOMA	EDD (Urban), Roorkee
19	DEVENDER KASHYAP	AUKHA5874797	DIPLOMA	EDD, Ramnagar, Roorkee
20	DHEERAJ KOHLI	NUKD011220600023	GRADUATE	EDD, Pithoragarh
21	HARSH KUMAR	AUKHA5929021	DIPLOMA	EDD (Urban), Roorkee

[Handwritten signature]

22	KARTIK PANDEY	AUKDD5171488	DIPLOMA	EDD (CENTRAL), Dehradun
23	KM RUKSAR KHATOON	AUKHA5953835	DIPLOMA	EDD (Rural), Roorkee
24	MAHAK RAWAT	AUKDD5582324	DIPLOMA	EDD, Rishikesh
25	MANISH KUMAR	AUKHA5950557	DIPLOMA	EDD, Jwalapur, Haridwar
26	MEHAK	AUKHA5951844	DIPLOMA	EDD, Jwalapur, Haridwar
27	MOHD FIROZ	AUKHA5154982	GRADUATE	EDD (Rural), Roorkee
28	NAVEEN KUMAR	AUKHA5946961	DIPLOMA	EDD, Ramnagar, Roorkee
29	NISHANT KARNWAL	AUKDD4826812	GRADUATE	EDD, Rishikesh
30	PAWAN KUMAR	AUKCL5947128	DIPLOMA	EDD, Gopeshwar
31	PRASHANT KUMAR	AUKHA5938782	DIPLOMA	EDD, Laksar
32	PRASHANT SEMWAL	AUKPG5507384	DIPLOMA	EDD, Srinagar
33	PRIYANSHI JIYAL	AUKPG5613952	DIPLOMA	EDD, Srinagar
34	RAJA DHIMAN	AUKHA4751541	DIPLOMA	EDD, Ramnagar, Roorkee
35	RAJAN	AUKHA5940715	DIPLOMA	EDD, Ramnagar, Roorkee
36	RAJU	NUKD011211200290	DIPLOMA	EDD (Urban), SIDCUL, Haridwar
37	RAJVEER SINGH RANA	AUKTG5167242	DIPLOMA	EDD, Srinagar
38	RAVIKANT	AUKHA5913649	DIPLOMA	EDD, Bhagwanpur
39	SAHIL KUMAR BHARTI	AUKPG5508603	DIPLOMA	EDD, Srinagar
40	SALMAN ANSARI	AUKHA5953223	DIPLOMA	EDD, Laksar
41	SANGEETA	AUKDD5945431	DIPLOMA	EDD, Vikasnagar
42	SAGAR KUMAR	AUKHA5940687	DIPLOMA	EDD, Bhagwanpur
43	SARVAGYA PAL	AUKDD4988137	DIPLOMA	EDD, Rishikesh
44	SHAWETA KUMARI	ABRRD5945758	GRADUATE	EDD, Mohanpur
45	SHIVAM SAINI	AUPMU4547359	DIPLOMA	EDD (Urban), Roorkee
46	SHREYA WALIA	AUKDD5960448	DIPLOMA	EDD, Vikasnagar
47	SIDDHANT RATHOR	AUKHA5563719	DIPLOMA	EDD (Rural), Haridwar
48	SIYA KUMARI	NUKD011210600215	GRADUATE	EDD, Pithoragarh
49	SURYANSH	AUKHA5946408	GRADUATE	EDD (Rural), Roorkee
50	TEJASWI	AUKHA5939159	DIPLOMA	EDD, Jwalapur, Haridwar

Handwritten signature

1. शिक्षुओं का कार्याजान पूर्णतः शिक्षु अधिनियम 1961 यथासंशोधित अधिनियम 1973 एवं 1986 और शिक्षुता नियम-1992 (वर्तमान तक संशोधित) के प्रावधानों एवं शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन शासित होगा ।
2. 50 अप्रैन्टिस शिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि दिनांक 28.03.2025 से दिनांक 27.03.2026 तक कुल 12 माह की रहेगी तथा दिनांक 27.03.2026 को प्रशिक्षण स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।
3. खण्डीय/सम्बन्धित कार्यालय द्वारा यदि दिनांक 27.03.2026 के पश्चात् इन शिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि आगे बढ़ायी जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी की होगी ।
4. अप्रैन्टिस शिक्षुओं द्वारा तैनाती आदेश निर्गत होने की तिथि के अगले कार्यदिवस में नवतैनाती कार्यालय में अपनी उपस्थिति अवश्यमेव दर्ज करानी होगी ।
5. दिनांक 28.03.2025 को उपर्युक्त प्रशिक्षु मुख्यालय में उपस्थित थे एवं दुर्गम क्षेत्र में कार्यग्रहण करने वाले प्रशिक्षुओं को उपस्थिति दर्ज कराने हेतु अधिकतम 02 कार्यदिवस प्रदान करते हुए, स्थिति अनुसार तीनों दिवसों को सम्मिलित करते हुए stipend धनराशि का भुगतान सम्बन्धित तैनाती कार्यालय द्वारा किया जायेगा ।
6. डी0बी0टी0 (Direct benefit transfer) योजना के तहत बोर्ड ऑफ अप्रैन्टिसशिप बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिमाह की stipend धनराशि के अन्तर्गत डिग्रीधारी अप्रैन्टिस शिक्षुओं को प्रतिमाह stipend की 50 प्रतिशत धनराशि ₹04500 एवं डिप्लोमा अप्रैन्टिस शिक्षुओं को प्रतिमाह stipend की 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 4000 का भुगतान सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय द्वारा शिक्षुओं के नेट्स पोर्टल पर पहले से ही अपलोड बैंक खाते (Aadhaar seeded Bank Account) में किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी खण्डीय कार्यालय को शिक्षुओं के बैंक खाते को परिवर्तित किये जाने का अधिकार नहीं होगा ।
7. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके नियन्त्रणाधीन प्रशिक्षण हेतु तैनात किये गये शिक्षुओं का प्रतिमाह उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरण एवं भुगतान किये गये stipend धनराशि का सम्पूर्ण ब्योरा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-3) के अनुसार प्रत्येक माह की 2 तारीख तक मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा इस कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को ई0मेल hrtraining.upcl@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे जिससे की stipend की शेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान शिक्षुओं को बोर्ड ऑफ अप्रैन्टिसशिप के स्तर से किया जा सके ।
8. बिन्दु सं0-7 के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (वितरण), अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत (नियन्त्रणाधीन सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता अथवा सहायक अभियन्ता) एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम, तैनाती कार्यालय एवं सम्पर्क विवरण की सूचना इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित नोडल अधिकारी अपने सम्बन्धित क्षेत्रान्तर्गत सभी कार्यालयों के प्रशिक्षुओं के प्रतिमाह के उपस्थिति/अनुपस्थिति एवं भुगतान का विवरण निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-3) के अनुसार प्रत्येक माह की 2 तारीख तक समस्त प्रशिक्षुओं की सूचना संकलित कर इस कार्यालय को ई0मेल hrtraining.upcl@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं भविष्य में कारपोरेशन द्वारा यदि इन अप्रैन्टिस प्रशिक्षुओं से सम्बन्धित कोई भी विवरण/सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो सम्बन्धित नोडल अधिकारी का पूर्ण दायित्व होगा कि आदेशों की अनुपालना करना सुनिश्चित करेंगे ।
9. अप्रैन्टिस शिक्षुओं द्वारा त्रैमासिक कार्य-प्रगति आख्या अपने नियन्त्रक अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा मुख्यालय द्वारा मांगे जाने की स्थिति में नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कार्यालय-अधिशासी निदेशक (मा0सं0), उपाकालि को उपलब्ध करायी जायेगी ।
10. 12 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही यदि किसी अप्रैन्टिस शिक्षु द्वारा प्रशिक्षण समाप्त किये जाने हेतु अनुरोध/आग्रह किया जाता है अपितु प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ा जाता है तो नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि सर्वप्रथम इसकी पूर्ण जानकारी कार्यालय-अधिशासी निदेशक (मा0सं0), उपाकालि को उपलब्ध करायी जाये, ताकि इस सम्बन्ध में अग्रतत्तर कार्यवाही समय रहते मुख्यालय स्तर से की जा सके ।

11. उक्त तैनाती आदेश इस प्रतिबन्धाधीन निर्गत किये जायेंगे कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप द्वारा Contract Creation पर अन्तिम अनुमोदन प्रदान करते समय यदि किसी शिशु के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है तो contract creation की तिथि से सम्बन्धित शिशु का एक वर्षीय अप्रेंटिस प्रशिक्षण स्वतः समाप्त समझा जायेगा तथा इस सम्बन्ध में stipend धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

अधिशारी निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक— अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु०-1/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर (लेवल-1), कार्यालय-प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्रा०वि०ग०सि० ऊर्जा भवन, दे०दून।
2. समस्त पूर्णकालिक निदेशकगण, उपाकालि, वि०क्रा०वि०ग०सि० ऊर्जा भवन, दे०दून।
3. स्टाफ आफिसर (लेवल-1), कार्यालय-अधिशारी निदेशक (मा०सं०), उपाकालि, वि०क्रा०वि०ग०सि० ऊर्जा भवन, दे०दून।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल/हरिद्वार/हल्द्वानी/रूद्रपुर क्षेत्र, उपाकालि, को विन्दु सं०-8 के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए विवरण/सूचना उपलब्ध कराने हेतु।
5. सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता, उपाकालि ।
6. अधिशारी अभियन्ता (का०मै०), उपाकालि, वि०क्रा०वि०ग०सि० ऊर्जा भवन, देहरादून ।
7. अधिशारी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि०क्रा०वि०ग०सि० ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेशों को कारपोरेशन के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

J. Shrivastava
28/3/25
(एस० के० भाटिया)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी